तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2970 / 2003 / जयपुर सरकार बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री श्रीनिवास बेनिवाल, उप राजकीय अभिभाषक।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 01–12–2025

निर्णय

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम), जयपुर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 07–05–2003 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बस्सी ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि एकीकरण खतौनी जमाबन्दी संवत् 2018 ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी में खसरा संख्या 92 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, 125 रकबा 3 बिस्वा, 126 रकबा 5 बिस्वा, 127 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 200 रकबा 3 बिस्वा, 201 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 240 रकबा 6 बिस्वा, 316 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 366 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री रामहरिहरजी वाके एहतमाम पुजारी अनोखीलाल पुत्र कंवर जाति भट्ट की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कालम में काल्या, शम्भू, कल्याण, महादेव पि. मंगला, प्रभात्या, सूज्या पि. ग्यारसा कौम मीना सा.देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत 2021 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय काल्या, शम्भू, कल्याण, महादेव पि. मंगला, प्रभात्या, सूज्या पि. ग्यारसा कौम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2970 / 2003 / जयपुर सरकार बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मीना सा.देह के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार शम्भू के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 259 से कालू, कल्याण पि. मंगला, रामफूल, रेवत्या पि. महादेव, प्रभात्या, सूज्या पि. ग्यारसा जाति मीना के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2057–60 में खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार भूमि का जो हस्तांतरण हंआ है, वह गलत है। अतः उक्त प्रविष्टियां विलोपित की जाकर वापस भूमि मन्दिर श्री रामहरिहरजी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी प्रभातीलाल दिनांक 15–04–1999 को कल्याण का पुत्र जगदीश दिनांक 26–04–2020 को उपस्थित आया तथा इसके पश्चात वह वाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आए और न ही नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी को बार–बार जवाब हेतु अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 259 अवैधानिक क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अतः यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में दर्ज किए गए खातेदारी अधिकारों को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार एकीकरण खतौनी जमाबन्दी संवत् 2018 ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी में खसरा संख्या 92 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, 125 रकबा 3 बिस्वा, 126	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2970 / 2003 / जयपुर सरकार बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबा 5 बिस्वा, 127 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 200 रकबा 3 बिस्वा, 201 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 240 रकबा 6 बिस्वा, 316 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 366 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री रामहरिहरजी वाके एहतमाम पुजारी अनोखीलाल पुत्र कंवर जाति भट्ट की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कालम में काल्या, शम्भू, कल्याण, महादेव पि. मंगला, प्रभात्या, सूज्या पि. ग्यारसा कौम मीना सा.देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत 2021 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय काल्या, शम्भू, कल्याण, महादेव पि. मंगला, प्रभात्या, सूज्या पि. ग्यारसा कौम मीना सा.देह के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार शम्भू के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 259 से कालू, कल्याण पि. मंगला, रामफूल, रेवत्या पि. महादेव, प्रभात्या, सूज्या पि. ग्यारसा जाति मीना के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2057–60 में खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार भूमि का जो हस्तांतरण हुआ है, जो गलत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है। उक्त आराजी जो कि माफी मन्दिर श्रीरामहरीरजी की खातेदारी में दर्ज थी, जिसे बाद में माफी मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। माफी मंदिर की भूमि का हस्तांतरण अप्रार्थी के पक्ष में बिना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2970 / 2003 / जयपुर सरकार बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और Juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। जिला कलेक्टर ने रिकोर्ड का पूर्ण परीक्षण कर विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय पारित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर एकीकरण खतौनी जमाबन्दी संवत् 2018 ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी में खसरा संख्या 92 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, 125 रकबा 3 बिस्वा, 126 रकबा 5 बिस्वा, 127 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 200 रकबा 3 बिस्वा, 201 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 240 रकबा 6	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2970 / 2003 / जयपुर सरकार बनाम कालू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिस्वा, 316 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 366 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री रामहरिहरजी वाके एहतमाम पुजारी अनोखीलाल पुत्र कंवर जाति भट्ट की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कालम में काल्या, शम्भू, कल्याण, महादेव पि. मंगला, प्रभात्या, सूज्या पि. ग्यारसा कौम मीना सा.देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत 2021 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय काल्या, शम्भू, कल्याण, महादेव पि. मंगला, प्रभात्या, सूज्या पि. ग्यारसा कौम मीना सा.देह के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार शम्भू के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 259 से कालू, कल्याण पि. मंगला, रामफूल, रेवत्या पि. महादेव, प्रभात्या, सूज्या पि. ग्यारसा जाति मीना के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2057–60 में खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई, को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी को पुनः भूमि माफी मन्दिर श्री रामहरिहर जी वाके देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	